महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
१, केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग , नई दिल्ली – ११०००१
आर्थिक सहायता अनुभाग

F.No.40(23)/WCD/FAS/V.S /2018-19

ता. प्रश्न संख्या – 09
दिनांक – 06.06.18
प्रश्नकर्ता का नाम – श्री संजीव झा
विभाग का नाम – महिला एवं बाल विकास विभाग
विभाग का पत्ता – 1 पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110001
क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे :

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि बीपीएल कार्ड धारकों की पुत्रियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;	जी नहीं बीपीएल कार्ड धारकों की पुत्रियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। विभाग द्वारा विधवा / निराश्रित महिलाओं की पुत्री/अनाथ कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । विस्तृत जानकारी सलंग्न है ।
(ख)	यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;	उपरोक्त के अनुसार ।
(ग)	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और	उपरोक्त के अनुसार ।
(घ)	क्या निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई योजना कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है?	विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Shub

संलग्नक
Q-9 (क)

महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
१, केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग
नई दिल्ली – ११०००१
आर्थिक सहायता अनुभाग

गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना

1. गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना का लक्ष्य और उद्देश्य-

(क) गरीब विधवाओं को अपनी लड़की का विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(ख) अनाथ लड़की के अभिभावक जिसमें गृह /संस्था अथवा पोषक माता-पिता अथवा अनाथ लड़की को अपने विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(ग) यह अनुदान सिर्फ एक बार के लिए है।

गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना पात्रता और भुगतान का तरीका-
30,000/- रुपये की एकमुश्त सहायता केवल आवेदक के नाम P.F.M.S. के माध्यम से अकाउंट में दिया जाता है ।

आर्थिक सहायता के लिए शर्तें –

(क) प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र देने के तिथि से पूर्व 5 वर्षों का दिल्ली का स्थाई निवासी होना आवश्यक है ।

(ख) प्रार्थी के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू 60,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान पाने के लिए उसका बैंक में " एकल संचालित " खाता हो।

(घ) वह इस योजना के लिए केंद्रीय सरकार /राज्य सरकार / दिल्ली नगर निगम तथा / अथवा नई दिल्ली नगर परिषद् या किसी अन्य स्रोतों से किसी प्रकार के पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो।

(ङ) जिस लड़की के विवाह के लिए सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

(च) विधवा महिला को यह सहायता केवल दो लड़कियों के विवाह के लिए दी जा सकती है ।

Shashi